

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्याया. के द्वि.अति. न्यायाधीश, शृंखला
न्यायालय चंदेरी, जिला-अशोकनगर
।। समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर ।।

सिविल विविध अपील क.-13/2018
संस्थित दिनांक-24.03.2018
आर.सी.ए. नंबर 13/2018

महेन्द्र कुमार बंसल पुत्र चुन्नीलाल बंसल,
उम्र-88 साल, निवासी-चंदेरी,
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अपीलार्थी**

// विरुद्ध //

1-पदम् सिंह पुत्र स्व. श्री कमल सिंह
जैन, उम्र-69 साल, निवासी-सदर बाजार
चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

2-अनिल कुमार बंसल पुत्र महेन्द्र कुमार बंसल
जैन, उम्र-54 साल, निवास-पुराने बस स्टेण्ड
के पास, चंदेरी, जिला-अशोकनगर

प्रतिअपीलाधीगर्ण

अपीलार्थी द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता ।
प्रतिअपीलार्थी क.-1 द्वारा :- श्री इंदरीश खान पठान अधिवक्ता ।
प्रतिअपीलार्थी क.-2 द्वारा :- अनिल कुमार स्वयं ।

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित किया गया)

1- प्रस्तुत विविध दीवानी अपील अंतर्गत आदेश 21 नियम 103 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चंदेरी (श्री जफर इकबाल) के द्वारा इजरा प्रकरण क.-58ए/10 एवं वर्तमान इजरा प्रकरण 01ए/2016 में अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सीपीसी आवेदक महेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नी लाल बंसल विरुद्ध पदम सिंह आदि आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2018 से व्यथित होकर आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

2- अपीलार्थी द्वारा अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन का निराकरण विधि अनुरूप न किया जाकर मन माने तरीके से कर दिया है। आदेश 21 नियम 97 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सर्वमान्य सिद्धांतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए एवं आवेदन का गुणदोषों पर

.2.

विधिक निराकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

3— प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अनुसार आवेदक महेंद्र ने यह कहते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वादी पदमसिंह एवं मद्यून अनिल कुमार से षडयंत्र कर शासकीय भूमि के संबंध में यह जयपत्र प्राप्त किया है। आवेदक/आपत्तिकर्ता का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य है। आवेदक सर्वे क्र-558 के उक्त भू-खण्ड पर 42 सालों से अधिक समय से आज दिनांक तक काबिज होकर दुकानदारी करता चला आ रहा है। डिक्रीदार पदमकुमार जैन तथाकथित रूप से अनिल कुमार जैन से किरायानामा संपादित कर 58ए/2010 में जयपत्र प्राप्त किया है एवं प्रकरण क्र-28ए/2012 में अपीलीय न्यायालय से भी डिक्री की पुष्टि की गई है। जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में लंबित होना बताई है। डिक्रीदार तथा भाई-बहन तथा माता ने छल पूर्वक राजस्व अभिलेखों में राजस्व अधिकारियों से मिल कर असत्य रूप से अपना नाम दर्ज करवा कर शासकीय भूमि हड़पने का प्रयास किया है। डिक्रीदार एवं उसके भाई-बहन तथा माता ने व्यवहार वाद क्र-21ए/2010 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के समक्ष प्रस्तुत कर सर्वे क्र-548 रकबा 0.387 हेक्टेयर का 0.058 हेक्टेयर का आधिपत्य प्राप्त करने की अनुमति चाही थी, जिसे न्यायालय ने निरस्त किया था। माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने उक्त भूमि को शासकीय माना है तथा डिक्रीदार एवं उसके भाई-बहन की अपील निरस्त कर दी है।

4— आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह बताया है उसका आधिपत्य 42 सालों से बेरोक-टोक होने से विरोधी आधिपत्य के कारण मध्यप्रदेश शासन के एवं डिक्रीधारी एवं डिक्रीधारी के भाई-बहन के स्वत्व शून्य एवं निष्प्रभावी हो गये हैं। अतः आवेदक के आधिपत्य में हस्तक्षेप न किये जाने एवं कब्जा वारण्ट रोके जाने के संबंध में निवेदन किया गया।

5— इजरा प्रकरण के डिक्रीधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी के जबाब में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र-548 कभी भी शासकीय भूमि नहीं रही है। आपत्तिकर्ता कभी भी भूमि क्र-548 का अतिक्रामक नहीं रहा है। आपत्तिकर्ता पूर्व में उसके पिता का किरायेदार रहा, पिता की मृत्यु के बाद डिक्रीधारी का किरायेदार रहा है स्वयं आपत्तिकर्ता ने दुकान खाली कर दी थी। आपत्तिकर्ता का पुत्र अनिल कुमार डिक्रीधारी का किरायेदार रहा और उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जयपत्र पारित किया गया है। आपत्तिकर्ता निर्णीत ऋणी का पुत्र है पुत्र से दुरभि संधि कर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिंदू यह है कि —

.3.

(1) क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दिया गया आदेश 22.02.2018 विधि एवं नियमों के आलोक में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ?

6— प्रकरण में आलोच्य आदेश 22.02.2018 का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक महेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आवेदक महेंद्र कुमार को मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं होना बताते हुए आदेश 21 नियम 26 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आदेश 21 नियम 29 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार महेंद्र कुमार के मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं होने से मूल प्रकरण में निर्णीत ऋणी नहीं होना मानते हुए आदेश 21 नियम 26 एवं आदेश 21 नियम 29 के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना पाते हुए प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

7— इस न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आवेदक महेंद्र के संबंध में लागू होता है अथवा नहीं।

8— इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 का अवलोकन किया गया। आदेश 21 नियम 97 के अनुसार स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा—(1) जहां स्थावर सम्पत्ति के कब्जे की डिक्री के धारक का या डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई ऐसी किसी सम्पत्ति के क्रेता का ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा अभिप्रात करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय से कर सकेगा।

“(2) जहां कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन किया जाता है वहां न्यायालय उस आवेदन पर न्यायनिर्णयन इसमें अंतर्विष्ट, उपबंधों के अनुसार करने के लिये अग्रसर होगा।” प्रावधान के आलोक में प्रकट होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति के कब्जे के धारक द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या बाधा डालने वाले व्यक्ति को उक्त आदेश एवं नियम के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु उपबंध किए गए हैं। उक्त आदेश एवं नियम के विरुद्ध किए गए आदेश के संबंध में अपील आदेश 21 नियम 103 में दी गई है।

9— प्रस्तुत प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र का गुण-दोषों पर निराकरण न किया जाकर मात्र यह कहते हुए कि चूंकि आवेदक/आपत्तिकर्ता पूर्व प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इस कारण से आपत्तिकर्ता अंतर्गत आदेश 21 नियम 26 एवं 29 सीपीसी के

.4.

तहत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना बताते हुए आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 निरस्त किया गया है। आदेश 21 नियम 26 प्रकरण में अपील न्यायालय से स्थगन लाने तक के लिए एवं आदेश 21 नियम 29 सीपीसी अन्य प्रकरण लंबित होने की स्थिति में बजावरी प्रकरण स्थगित किए जाने हेतु प्रावधान दिए गए हैं। जबकि अपीलार्थी/आपत्तिकर्ता प्रकरण में प्रस्तुत जयपत्र एवं माननीय अपील न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में पक्षकार न होकर तृतीय पक्ष है, जिसकी आपत्ति है कि उसे प्रकरण में सुना नहीं गया है और न ही उसे पक्षकार बनाया गया है। जबकि इजरा प्रकरण में प्रस्तुत विचारण न्यायालय के निर्णय एवं माननीय अपील न्यायालय के निर्णय अनुसार यह वाद निष्काशन के संबंध में किरायेदारी एवं भवन स्वामी के संबंधों के आधार पर जयपत्रित किया गया है, न कि स्वामित्व के आधार पर ऐसी स्थिति में विचार न्यायालय द्वारा अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सीपीसी आदेश दिनांक 22.02.2018 के निराकरण किए जाते समय विधिक सिद्धांतों का पालन किया जाना दर्शित नहीं होता है। आवेदन पत्र गुण-दोषों पर निराकृत नहीं किया गया है।

10— अतः प्रस्तुत अपील अंतर्गत आदेश 21 नियम 103 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर श्रीमान् जफर इकबाल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 22.02.2018 विधि के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किया जाता है एवं आपत्तिकर्ता/आवेदक महेंद्र का अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड का बजावरी प्रकरण क-1ए/2016 पदम सिंह विरुद्ध अनिल कुमार एवं आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. दिनांक 10.01.2018 इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों के उपस्थित होने तक उन्हें पुनः पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए एवं आवश्यक साक्ष्य एवं कार्यवाही उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. का गुण-दोषों पर विधि अनुसार निराकरण करें। उभय पक्ष आगामी दिनांक 09.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लेवे।

11— अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर जो भी कम हो व्यय तालिका में जोड़ा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला न्यायाधीश, के न्यायालय के
द्वि.अति. न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया. चंदेरी
जिला-अशोकनगर

मेरे आलेख में टंकित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला न्यायाधीश, के न्यायालय
के द्वि.अति. न्यायाधीश, श्रृंखला न्याया.
चंदेरी जिला- अशोकनगर

प्रतिलिपि :-

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर (श्रीमति रीतु वर्मा कटारिया) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्र.-2285/20114 म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली, अशोकनगर विरुद्ध सोनू आदि, में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2018 के संदर्भ में मूल दांडिक प्रकरण सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर
के न्यायालय के द्वि.अति.सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर

